न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– राजेश वर्मा (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 21/2018

(आर सी एम एस नम्बरः– 2018/00024)

उनवान प्रकरण

लाखनसिंह उम्र करीव 51 वर्ष पुत्र श्री मूला जाति खाती निवासी ग्राम सालेपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0 ....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर
2–पवन पुत्र श्री सुरेश जाति वैश्य निवासी ग्राम तसीमॉ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0 2588 आदेश दिनांक 15.06.2015 बांके ग्राम सैपऊ नम्बर–1 द्वारा तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1 की ओर से :–श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पो0सं0 2 की ओर से :– श्री लक्ष्मीनारायन बघेल एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 16.01.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या–2 का आराजी खसरा नम्बर 2397 रकवा 02 वीधा 14 विस्वा बांके ग्राम सैपऊ नम्बर–1 में निहित हिस्सा सम्पूर्ण 1/4 भाग यानी 13.5 विस्वा में से 12/54 भाग यानी 12 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 7.5.2015 को मुबलिक 2,80,000/–रूपये में कय करके कब्जा व आधिपत्य प्राप्त किया और आज मौके पर अपने कय किये गये हिस्सा 12/54 भाग यानी 12 विस्वा पर काबिज काश्त है। रैसपोडेन्ट संख्या–2 का उक्त आराजी में से अपने निहित हिस्सा सम्पूर्ण 1/4 भाग यानि 13.5 विस्वा में से 12/54 भाग यानी 12 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विकय करने के बाद 1/36 भाग शेष रहा था जिसका जरिये नामान्तकरण संख्या 2588 दिनांक 15.6.2015 रेस्पोडेन्ट संख्या–1 तहसीलदार सैपऊ ने रेस्पोडेन्ट सख्या–2 के हिस्सा सम्पूर्ण 1/4 भाग यानि 13.5 विस्वा में से 12/54 भाग का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में

Scanned by CamScanner

किया जाना था किन्तु सहवन गलती से रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के हिस्सा सम्पूर्ण 1/4 भाग यानी 13.5 विस्व सम्पूर्ण का नामान्तकरण संख्या 2588 दिनांक 15.6.2015 को अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया। उक्त नाामान्तकरण से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट के हिस्सा 12/54 भाग यानी 12 विस्वा के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा पंजीबद्व किये गये बयनामा में क्रय किये गये हिस्से के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किया जाना आवश्यक था किन्तु तहसीलदार सैपऊ द्वारा रेसपोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये वयनामा दिनांक 7.5.2015 का अवलोकन किये बिना केवल अनुमान के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के शेष बचे हिस्सा 1/36 भाग तक स्वतः ही शून्य व प्रभावहीन है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा पंजीबद्व किये गये बयनामा के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की शेष बची आराजी 1/36 भाग पर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है जिसमें अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा दिनांक 15.6.2015 को अपीलान्ट के पक्ष में किये नाामान्तकरण संख्या 2588 बावत आराजी खसरा नम्बर 2397 रकवा 2 वीघा 14 विस्वा में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के निहित हिस्सा 1/4 भाग में से अपीलान्ट द्वारा क्रय किये गये हिस्सा 12/54 भाग पर ही अपीलान्ट का नाम अंकित किये जाने और शेष बचे हिस्सा 1/36 भाग पर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 का नाम अंकित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 ग्राम सैपऊ नम्बर–1, नकल नामान्तकरण संख्या 2588 दिनांक 15.6.2015, नकल वयनामा दिनांक 7.5.2015 द्वारा पवन पुत्र सुरेश वहक लाखनसिंह पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से लक्ष्मीनारायन बघेल एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट के हिस्सा 12/54 भाग यानी 12 विस्वा के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा पंजीबद्व किये गये बयनामा में क्रय किये गये हिस्से के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किया जाना आवश्यक था किन्तु तहसीलदार सैपऊ द्वारा रेसपोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये वयनामा दिनांक 7.5.2015 का

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

अवलोकन किये बिना केवल अनुमान के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के शेष बचे हिस्सा 1/36 भाग तक स्वतः ही शून्य व प्रभावहीन है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा पंजीबद्व किये गये बयनामा के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की शेष बची आराजी 1/36 भाग पर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है जिसमें अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील का कोई विरोध नहीं किया। अपनी वहस में अपील में अंकित कथनों को स्वीकार किया तथा कथन किया कि अपील स्वीकार फरमाई जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या–2 का आराजी खसरा नम्बर 2397 रकवा 02 वीधा 14 विस्वा बांके ग्राम सैपऊ नम्बर–1 में निहित हिस्सा 1/4 भाग यानी 13.5 विस्वा में से 12/54 भाग यानी 12 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.5. 2015 को क्रय करके कब्जा व आधिपत्य प्राप्त किया और आज मौके पर अपने क्रय किये गये हिस्सा 12/54 भाग यानी 12 विस्वा पर काबिज काश्त है। रैस्पोडेन्ट संख्या–2 का उक्त आराजी में से अपने निहित हिस्सा सम्पूर्ण 1/4 भाग यानि 13.5 विस्वा में से 12/54 भाग यानी 12 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय करने के बाद 1/36 भाग शेष रहा था जिसका जरिये नामान्तकरण संख्या 2588 दिनांक 15.6.2015 रेस्पोडेन्ट संख्या–1 तहसीलदार सैपऊ ने रेस्पोडेन्ट सख्या–2 के हिस्सा सम्पूर्ण 1/4 भाग यानि 13.5 विस्वा में से 12/54 भाग का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में किया जाना था किन्तु सहवन गलती से रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के हिस्सा सम्पूर्ण 1/4 भाग यानी 13.5 विस्व सम्पूर्ण का नामान्तकरण संख्या 2588 दिनांक 15.6. 2015 को अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट के हिस्सा 12/54 भाग यानी 12 विस्वा के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा पंजीबद्व किये गये बयनामा में क्रय किये गये हिस्से के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किया जाना था किन्तु तहसीलदार सैपऊ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये वयनामा दिनांक 7.5.2015 का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के शेष बचे हिस्सा 1/36 भाग तक स्वतः ही शून्य व प्रभावहीन है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है तथा तहसीलदार सैपऊ को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

न्या0अति.जिला कलक्टर धौ0
वमुकः लाखनसिंह बनाम सरकार व अन्य
अपील संख्या 21/2018

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 2588 दिनांक 15.06.2015 ग्राम सैपऊ नम्बर–1 तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर वयनामा दिनांक 7.5.2015 के अनुसार पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner